न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 16/2021

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, आबूरोड जिला सिरोही।।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री बाबू पुत्र श्री अचला जाति मेघवाल निवासी मुदरला तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्रीमती चौपी पत्नि श्री अचला जाति मेघवाल निवासी मुदरला तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
3. श्रीमती शान्ता पत्नि श्री पाता जाति मेघवाल निवासी मुदरला तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :–

1. श्री जब्बर सिंह, नायब तहसीलदार पैरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री नगेन्द्र मेडतिया, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

निर्णय

दिनांक 17.05.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा मुदरला पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड(वर्तमान देलदर) जिला सिरोही के खसरा नं. 766/728 रकबा 0.14 बीघा किस्म बारानी–1 भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश कमांक/78/2398 दिनांक 07.11.1978 द्वारा श्री अचला पुत्र श्री चौपा जाति मेघवाल निवासी मुदरला पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड(वर्तमान देलदर) जिला सिरोही को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण दिनांक 24.11.1978 को तहसीलदार आबूरोड द्वारा श्री अचला पुत्र श्री चौपा के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र [illegible] विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) [illegible] पेश किया। श्री अचला पुत्र श्री चौपा जाति मेघवाल की फौत होने से उसके वारिसान को अप्रार्थी संख्या एक से तीन के रूप में पक्षकार बनाकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया ।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:19:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया एवं अप्रार्थी संख्या तीन द्वारा बावजूद नोटिस तामिली के इस न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा नं. 766/728 रकबा 0.14 बीघा किस्म बारानी–1 भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या एक से तीन के पूर्वरसाधिकारी श्री अचला पुत्र श्री चौपा जाति मेघवाल निवासी मुदरला को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है । आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है। अप्रार्थी सद्भावी काश्तकार नहीं था। आवंटित भूमि पर उसका कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं की है, एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजी मौजा मुदरला के खसरा संख्या 728/766 रकबा 0.14 बीघा किस्म बारानी–1 आवंटन अप्रार्थीगण के पूर्वज श्री अचला पुत्र श्री चौपा भांबी निवासी मुदरला के हक में वर्ष 1977 में किया जाकर कब्जा सुपूर्द किया, जिस पर श्री अचला ने झोंपडा बनाकर निवास करना प्रारम्भ किया तथा आराजी पर भी काश्त करने लगे। श्री अचला एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे, जो पूरे जीवनकाल में उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त की है तथा इसी आराजी पर बने झोंपडे में निवास किया है एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान उक्त आराजी पर काबिज है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या एक व दो का मकान बना हुआ है, जिसमें अप्रार्थीगण अपने परिवार के साथ निवास करते आ रहे है और वादग्रस्त आराजी पर खेती व मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते है। यह कि उक्त आराजी पर अप्रार्थी के आवास का बिजली कनेक्शन भी लिया हुआ है एवं वर्ष 1977 से आज तक करीब 46 वर्षो की अवधि में अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति ने कब्जे में दखल नहीं किया है। यह कि नियम 1970 के तहत आबंटित भूमि का व्यक्ति 10 वर्ष की अवधि के पश्चात स्वतः ही खातेदार बन जाता है तथा वर्तमान में संशोधित नियम के अनुसार आवंटन के तीन वर्ष की अवधि के बाद आवंटन धारी व्यक्ति आवंटित भूमि का खातेदार बन जाता है तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता है। स्व. श्री अचला को वादग्रस्त भूमि का आवंटन हुए करीब 46 वर्षो की लम्बी अवधि गुजर चुकी है। अतः इतनी लम्बी अवधि के बाद आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। यह है कि कानूनन आवंटन हुए कृषि आराजी को 46 वर्ष की अवधि गुजर चुकी है एवं खातेदारी हक व अधिकार प्राप्त हो चुके है जबकि राजस्व अधिकारियों का यह दायित्व था कि कृषि भूमि को आवंटित होने के 10 वर्ष पश्चात राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज करना चाहिए था, जो राजस्व अधिकारियों की भूल से दर्ज नहीं हो पाया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किया जाना फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:19:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि कृषि भूमि आंवटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश क्रमांक/78/2398 दिनांक 07.11.1978 के द्वारा श्री अचला पुत्र श्री चौपा जाति मेघवाल निवासी मुदरला पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड(वर्तमान देलदर) जिला सिरोही के खसरा संख्या 766/728 रकबा 0.14 बीघा किस्म बारानी–1 भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया है, जिसकी पालना में आंवटित भूमि का कब्जा सुपूर्द किया जाकर नामान्तरकरण दिनांक 24.11.1978 को तहसीलदार आबूरोड द्वारा आवंटित भूमि राजस्व रेकर्ड में आंवटी श्री अचला पुत्र श्री चौपा भांबी के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज की गई।

प्रार्थी पक्ष द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर कभी भी काश्त नहीं किया है एवं आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है। जबकि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आंवटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त आंवटन के समय से चला आ रहा है। अप्रार्थी ने आवंटित भूमि पर लगातार काश्त की जा रही है एवं मौके पर आज भी काबिज काश्त है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से आवंटन शर्तों का उल्लघंन नहीं किया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा संवत 2047–2050, 2051–2054, 2063–2066 एवं 2067–2070 में उक्त आंवटित भूमि पर फसल बौने का काश्त होना दर्ज है, इसके पश्चात अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई काश्त नहीं की है और न ही ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर लगातार काश्त की जा रही हो। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि श्री अचला पुत्र श्री चौपा को उक्त भूमि संवत 2034 में आंवटित की गई थी, परन्तु इनके द्वारा आवंटन के समय से संवत 2047 से किसी भी प्रकार की कोई काश्त नहीं की है एवं संवत 2055 से संवत 2062 तक भी काश्त नहीं किया है, उसके पश्चात संवत 2070 के बाद से अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर किसी भी प्रकार की कोई काश्त नहीं की है। चूंकि नियम 14 (3) के तहत अप्रार्थी प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भाग एवं शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में काश्त की जानी चाहिए थी। उसके पश्चात आवेदन करने पर कालावधि तहसीलदार द्वारा 1 वर्ष के लिए बढाई जा सकती है। विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा आंवटित भूमि पर लगातार कब्जा कर काश्त किया जाना नही पाया जाता है। यह तथ्य पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 18.12.2019 के अनुसार स्पष्ट प्रतीत होता है कि मौके पर कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं की जा रही है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर आवंटन के समय से लगातार कब्जा कर काश्त की जा रही है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अप्रार्थी अधिवक्ता यह साबित करने में असफल रहे है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर आवंटन के समय से कब्जा कर काश्त की जा रही है। अप्रार्थीगण द्वारा संवत 2047 से पूर्व, संवत 2055 से संवत 2062 की अवधि में तथा संवत 2070 एवं के बाद किसी भी प्रकार की कोई काश्त किए जाने का किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। जहां तक उक्त प्रार्थना पत्र का देरीना प्रस्तुत किए जाने का कथन है,

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:19:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी अधिवक्ता का यह कथन सही है एवं इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा भी कोई ठोस कारण नहीं बताया है, फिर भी न्यायहित में प्रार्थी एवं अप्रार्थी के सुखाधिकारों को ध्यान में रखते हुए एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर देरी से प्रस्तुत किए जाने की अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधिक दृष्टांत राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपील संख्या 97/99 गुलाबबाई बनाम भगवतीलाल में पारित निर्णय 11.08.2005, अपील संख्या 21/2002 रामखिलाडी बनाम दौलतराम, अपील संख्या 47/96 शंकरलाल बनाम राज्य सरकार, अपील संख्या 119/2000 बदरीबाई बनाम राजाराम एवं अपील संख्या 4710/2014 पानी उर्फ पांची बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी द्वारा खसरा गिरदावरी संवत 2047–2050, 2051–2054, 2063–2066 एवं 2067–2070 की प्रस्तुत की है, जिनमें इनके द्वारा फसल बौने का अंकन किया गया है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी द्वारा वर्ष 2021 का पानी बिल एवं मौके की फोटोग्राफ प्रस्तुत किए है, जिसमें भी अप्रार्थी का निर्माण व कब्जा होना प्रतीत होता है। यद्यपि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी का आवंटन के समय से लेकर आज तक लगातार कब्जा काश्त करना सिद्ध नहीं होता है, परन्तु इनके द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण को तहसीलदार आबूरोड (वर्तमान तहसीलदार देलदर) को पुनः जांच हेतु भेजा जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण को प्रार्थी तहसीलदार आबूरोड (वर्तमान तहसीलदार देलदर) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अप्रार्थीगण को किए गए आवंटन की मौके पर जाकर एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पुनः नियमानुसार जांच करें। यदि अप्रार्थीगण का आवंटित भूमि पर लगातार कब्जा कर काश्त किया जाना नहीं पाया जाता है तो प्रार्थी उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:19:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner